रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122023-250417
CG-DL-E-05122023-250417

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 690] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2023/अग्रहायण 13, 1945
No. 690] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2023/AGRAHAYANA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 873(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनएमईईई) की नियुक्ति और सेवा संबंधी शर्तें और निबंधन नियमावली 2012 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनएमईईई) नियुक्ति और सेवा संबंधी शर्तें और निबंधन संशोधन नियम, 2023 है।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उप महानिदेशक (एनएमईईई) की नियुक्ति और सेवा संबंधी शर्तें और निबंधन नियम 2012 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची में, उप महानिदेशक (तकनीकी) के पद के संबंध में, -

(क) स्तंभ (4) में, "पीबी4 - रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (6) में, "टिप्पण" के स्थान पर, निम्नलिखित "टिप्पण" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त),"

(ग) स्तंभ (7) में, --

(i) मद (i) में "आवश्यक" और "वांछनीय" शीर्षकों के अधीन, "या अर्थशास्त्र या अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या कारबार या वित्त या औद्योगिक अर्थशास्त्र या ऊर्जा नियोजन और अर्थशास्त्र" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) "वांछनीय" शीर्षक के अधीन, मद (i) में, "या रसायन विज्ञान" शब्दों के पश्चात्, "या स्नातकोत्तर डिग्री" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) स्तंभ (11) में, मद (ii) में, "पीबी4 - रु.37400-67000 + ग्रेड वेतन रु.8700", अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपये)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; और

(ड.)स्तंभ (11) में, "छप्पन वर्ष" शब्दों के स्थान पर "अट्ठावन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों में उप महानिदेशक (वित्त) में -

(क) स्तंभ (4) में, "पीबी4 - रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 10000" अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14 (144200-218200 रुपए)” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) स्तंभ (6) में, "टिप्पण" के स्थान पर, निम्नलिखित "टिप्पण" रखा जाएगा, अर्थात्:-

"टिप्पण - आयु-सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहौल और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उप-मंडल क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त),"

(ग) स्तंभ (7) में, -

(i) कारबार या वित्त " शब्दों के स्थान पर " वित्त विशेषज्ञता सहित कारबार प्रबंधन" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "या इंजीनियरी और कारबार में स्नातक डिग्री" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) स्तंभ (11) में, मद (ii) में, "पीबी4 - रु. 37400-67000 + ग्रेड वेतन रु. 8700", अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (123100-215900 रुपए)" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ड़) स्तंभ (11) में, " छप्पन वर्ष " शब्दों के स्थान पर "अट्ठावन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13/11/2021-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 780 (अ) तारीख 22 अक्तूबर, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2023

G.S.R. 873(E).— In exercise of the powers conferred by section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Deputy Director General (NMEEE) Rules, 2012, namely:-

1. Short title and commencement.- (i) These rules may be called the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Deputy Director General (NMEEE) Amendment Rules, 2023.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Bureau of Energy Efficiency Appointment and Terms and Conditions of Service of Deputy Director General (NMEEE) Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), in the post relating to the Deputy Director General (Technical), –

(a) in column (4), for the letters, figures and words "PB4- Rs.37400–67000 + Grade Pay Rs.10000"**,** the words, figures and letters "level 14 (Rs.144200–218200) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in column (6), for "Note", the following "Note", shall be substituted, namely:-

"Note : The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India, (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep),"

(c) in column (7), --

(i) under the headings "Essential" and "Desirable", in item (i), the words "or Economics or Applied Economics or Business or Finance or Industrial Economics or Energy Planning and Economics" shall be omitted;

(ii) under the heading "Desirable", in item (i), after the words, "or Chemistry", the words "or Master degree in" shall be inserted;

(d) in column (11), in item (ii), for the letters, figures and words "PB4 - Rs.37400–67000 + Grade Pay Rs. 8700", the words, figures and letters "level 13 (Rs.123100–215900) in the pay matrix" shall be substituted; and

(e) in column (11), for the words "fifty-six years**"** the words "fifty-eight years" shall be substituted.

3. In the said rules, in Deputy Director General (Finance), –

(a) in column (4), for the letters, figures and words "PB4 - Rs. 37400–67000 + Grade Pay Rs.10000"**,** the words, figures and letters "level 14 (Rs.144200–218200) in the pay matrix" shall be substituted;

(b) in column (6), for "Note", the following "Note" shall be substituted, namely:-

"Note : The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh or Lakshadweep),"

(c) in column (7),**–**

(i) for the words "Business or Finance**",** the words " Business Administration with Finance Specialization" shall be substituted;

(ii) the words "or Bachelor Degree in Engineering and Business" shall be omitted;

(d) in column (11), in item (ii), for the letters, figures and words "PB4- Rs.37400–67000 + Grade Pay Rs. 8700", the words, figures and letters "level 13 (Rs.123100–215900) in the pay matrix" shall be substituted;

(e) in column (11), for the words "fifty-six years**"** the words "fifty-eight years" shall be substituted.

[F. No.13/11/2021-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

NOTE:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3, sub-section (i) as G.S.R. 780(E) dated 22nd October, 2012.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA